रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

HRAGE ASIUSI The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 380] No. 380] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 2013/फाल्गुन 1, 1934

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2013/PHALGUNA 1, 1934

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2013

का.आ. 411(अ).—कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948 के पैरा 4 के साथ पठित कोयला खान भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा उए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 2596(अ), दिनांक 13 अक्तूबर, 2009 के क्रम में केन्द्रीय सरकार कोयला खान भविष्य निधि संगठन के न्यासी बोर्ड के कार्यकाल को आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा बोर्ड का पुनर्गठन होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढाती है।

. [फा. सं. 20/210/3/2012-पीआरआईडब्ल्यू-III] एम. आर. आनंद, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF COAL NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2013

S.O. 411(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948), read with paragraph 4 of the Coal Mines Provident Fund Scheme, 1948 and in continuation to the notification of the Government of India, Ministry of Coal, number S. O. 2596 (E), dated 13th October, 2009 published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, the Central Government hereby extends the term of the Board of Trustees of the Coal Mines Provident Fund Organization for a further period of one year or till the Board is reconstituted, whichever is earlier.

[F. No. 20/210/3/2012-PRIW-III]

M. R. ANAND, Economic Adviser